उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971[1]

[उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 15, 1971]

राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 14, 1973

उ0 प्र0 अधिनियम सं0 10, 2006

उ0 प्र0 अधिनियम सं0 39, 2006

द्वारा संशोधित

[उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 8 मई, 1970 ई० तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 14 जुलाई, 1971 ई० की बैठक में स्वीकृत किया ।

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल ने दिनांक 17 जुलाई, 1971 ई० को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेश सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 19 जुलाई, 1971 ई० को प्रकाशित हुआ ।]

शासन के अन्तर्गत कुछ लाभप्रद पदों में यह घोषित करने के लिए कि उन पर अध्यासित व्यक्ति उन पदों के कारण राज्य विधान मण्डल के सदस्य चुने जाने या बने रहने के लिये अनर्ह न होंगे,

अधिनियम

भारत गणराज्य के बाइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :––

संक्षिप्त नाम

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971 कहलाएगा ।

परिभाषाएं

2–जब तक प्रसंग द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में ––

(क) "प्रतिकर भत्ता" का तात्पर्य किसी पदधारी को [2][मानदेय दैनिक भत्ता], सवारी भत्ता, गृह किरया भत्ता या यात्रा भत्ता के रूप में इस प्रयोजन से देय धनराशि से है जिससे कि वह उक्त पद के कृत्यों का संपादन करने में अपने द्वारा किए गए व्यय की पूर्ति कर सके, ऐसे भत्ते दैनिक भत्ता, गृह किराया भत्ता या यात्रा भत्ता की दशा में, न तो उन दरों से अधिक हों और न उन शर्तो से अधिक अनुकूल शर्तो पर ग्राह्य हो जो संविधान के अनुच्छेद 195 के अधीन बनाए गए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन प्रयोज्य हों ;

(ख) [3][* * * *]

(ग) [3][* * * *]

(घ) "राज्य" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य से है ।

---

1. उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिये दिनांक 9 अगस्त, 1955 ई0 का सरकारी असाधारण गजट देखिये ।
2. उ0 प्र0 अधि0 सं0 10, 2006 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उ0 प्र0 अधि0 सं0 39, 2006 की धारा 2 द्वारा निकाली गई ।

कुछ लाभप्रद पद अनर्ह न करेंगे

3–एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित में से कोई पद, जहां तक वह भारत सरकार या राज्य सरकार के अन्तर्गत कोई लाभप्रद पद हो, उसके धारक को राज्य विधान मंडल का सदस्य चुने जाने या बने रहने के लिए न तो अनर्ह करेगा और न कभी भी अनर्ह किया गया समझा जाएगा, अर्थात्––

(क) संघ या राज्य के किसी राज्य मंत्री या उपमंत्री का पद अथवा किसी मंत्री के सभा सचिव का पद ;

ऐक्ट संख्या 31, 1948

(ख) नेशनल केडेट कोर ऐक्ट, 1948 टेरिटोरियल आर्मी ऐक्ट, 1948 या रिजर्व ऐण्ड आग्जीलियरी एयर फोसेंज ऐक्ट, 1952 के अधीन संग्रहीत या अनुरक्षित किसी दल के किसी सदस्य का पद ;

ऐक्ट संख्या 56, 1948 ऐक्ट संख्या 62, 1952

(ग) जब कि संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो, भारतीय स्थल सेना, भारतीय वायु सेना या भारतीय नौ सेना या रक्षित दल के किसी अधिकारी का पद, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय, या नागरिक सुरक्षा सेवा के किसी सदस्य का पद ;

(घ) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन अथवा राज्य सरकार के प्राधिकार के अधीन संघटित होम गार्ड्स में कोई पद ;

(ङ) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन अथवा राज्य सरकार के प्राधिकार के अधीन संघटित किसी ग्राम सुरक्षा दल (चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय) में कोई पद ;

(च) किसी विश्वविद्यालय के सिडिकेट, सेनेट, कार्यकारिणी समिति, परिषद् या कोर्ट अथवा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किसी अन्य निकाय के या राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाली किसी शिक्षा संस्था की प्रबन्ध समिति, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय, के अध्यक्ष या सदस्य का पद ;

(छ) किसी विशेष प्रयोजन के लिये भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा भारत के बाहर भेजे गये किसी प्रतिनिधि मन्डल या शिष्ट मण्डल के सदस्य का पद ;

(ज) राज्य सरकार के नियोजन विभाग में राज्य मूल्यांकन सलाहकार परिषद् के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद ;

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11, 1966

(झ) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 के अधीन किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेंटी में राज्य सरकार द्वारा नाम–निर्दिष्ट सदस्य अथवा सभापति का पद ;

(ञ) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सिंचाई आयोग के अध्यक्ष या सदस्य का पद ;

(ट) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त श्रम आयोग के अध्यक्ष या सदस्य का पद ;

(ठ) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त वेतन आयोग के अध्यक्ष या सदस्य का पद ;

(ड) लोक महत्व के किसी विषय के संबंध में भारत सरकार या राज्य सरकार अथवा किसी अन्य प्राधिकारी को सलाह देने के लिए या किसी ऐसे विषय के संबंध में जांच करने अथवा आंकड़े संग्रहीत करने के लिए अस्थायी रूप से बनाई गई किसी समिति के

(चाहे उसमें एक सदस्य या अधिक सदस्य हों) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य अथवा सचिव का पद, यदि ऐसे पद का धारक प्रतिकर भत्ता से भिन्न किसी अन्य पारिश्रमिक का हकदार न हो ;

(ढ) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, खण्ड (ज), खण्ड (झ), खण्ड (ञ), खण्ड (ट), खण्ड (ठ), या खण्ड (ड) में अभिदिष्ट किसी ऐसे निकाय से भिन्न किसी परिनियत या अपरिनियत निकाय के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, निदेशक, सदस्य या सचिव का पद, यदि ऐसे पद का धारक प्रतिकर भत्ता से भिन्न किसी अन्य पारिश्रमिक का हकदार न हो ; **अधिनियम संख्या 43, 1951**

(ण) किसी ग्राम राजस्व अधिकारी का पद, चाहे उसे लम्बरदार, प्रधान, सरग्रोह, मालगुजार, ग्राम सयाना, खात सयाना के नाम से या किसी अन्य नाम से पुकारा जाय, जिसका कार्य मालगुजारी वसूल करना हो और जिसे उसके द्वारा वसूल की गयी मालगुजारी का अंश या कमीशन द्वारा पारिश्रमिक दिया जाय, किन्तु जो पुलिस के किन्हीं कृत्यों को न करता हो ;

(त) इंडियन सिक्योरिटीज ऐक्ट, 1920 में यथा पारिभाषित सरकारी प्रतिभूतियों या भारत सरकार द्वारा जारी किये गये किन्हीं बचत प्रमाण–पत्रों की बिक्री के लिए अथवा उसके अंशदानों के संग्रहण के लिए किसी एजेंट का (कमीशन पर या बिना कमीशन पर) पद, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय ; **ऐक्ट संख्या 10, 1920**

(थ) संविधान के अनुच्छेद 31–क के खण्ड (1) के उपखण्ड (ख) के अधीन बनाई गयी विधि के अन्तर्गत सीमित अवधि के लिये भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा अपने अधिकार में ली गयी किसी संपत्ति के प्रबन्ध के लाभप्रद पद, जब वह किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा धृत हो जो इस प्रकार उक्त संपत्ति के अधिकार में लिये जाने के पूर्व से उसके प्रबन्ध के संबंध में सेवायोजित हो ;

(द) कोई पद जो किसी विशेष कर्त्तव्य का पालन करने के लिए पूर्णकालिक पद न हो, यदि ऐसे पद का धारक प्रतिकर भत्ता से भिन्न किसी अन्य पारिश्रमिक का हकदार न हो ;

(ध) पैनेल के वकील का पद (जिसके अन्तर्गत 1950 ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि–व्यवस्था अधिनियम की धारा 127–ख के अधीन नियुक्त कोई पैनल का वकील भी हो), यदि ऐसे पद का धारक किसी प्रतिधारण या वेतन, उसे चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाय, के लिए हकदार न हो ;

(न) लेख्य–प्रमाणक या शपथ अधिकारी का पद या किसी न्यायालय या कलेक्टर द्वारा नियुक्त कमिश्नर अथवा आदाता अथवा एमीकस क्यूरी का पद अथवा सरकारी आदाता किन्तु इसके अन्तर्गत सरकारी पारिसमापक का पद नहीं है ।

स्पष्टीकरण––इस धारा के प्रयोजनों के लिए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सचिव के पद के अन्तर्गत उसी प्रकार के सभी पद होंगे, चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाए।

[1][(प) राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य का पद

(फ) राज्य सरकार के पंचायती राज (2) विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 4519–बी/33–III–71 तारीख 13 दिसम्बर, 1971 द्वारा राज्य सरकार द्वारा नियुक्त समिति के अध्यक्ष या सदस्य का पद,

(ब) राज्य सरकार के राजस्व विभाग द्वारा नियुक्त राजस्व न्यायिक पुर्नगठन समिति के अध्यक्ष या किसी सदस्य का पद;

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 14, 1973 की धारा 2 द्वारा बढ़ाया गया।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सचिव के पद के अन्तर्गत उसी प्रकार के सभी पद होंगे, चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाए।

[1][(भ) निम्नलिखित निकायों में से प्रत्येक के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, या सदस्य (चाहे वह निदेशक या किसी अन्य नाम से ज्ञात हो) का पद अर्थात्––

1– उत्तर प्रदेश स्टेट फाइनेन्शियल कारपोरेशन

2– उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन

3– उत्तर प्रदेश स्टेट वेयर हाउसिंग कारपोरेशन

4– उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्

5– उत्तर प्रदेश स्टेट स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड

6– उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड

7– उत्तर प्रदेश सीमेंट कारपोरेशन लिमिटेड

8– उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड.

9– उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिटेड.

10– उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड.

11– उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रिजेज कारपोरेशन लिमिटेड.

12– उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट कारपोरेशन

13– हिल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड.

14– प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन ऑफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड.

15– इण्डियन टरपेन्टाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड.

16– उत्तर प्रदेश स्टेट हैण्डलूम कारपोरेशन कारपोरेशन

17– पूर्वांचल विकास निगम लिमिटेड.

18– बुन्देलखण्ड विकास निगम लिमिटेड.

19– उत्तर प्रदेश विकास परिषद्

20– उत्तर प्रदेश जल निगम

21– उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद्

22– उत्तर प्रदेश सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण आयोग

23– उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद्

24– उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम

25– उत्तर प्रदेश खादी बोर्ड

26– उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम

27– उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी गन्ना समिति संघ लिमिटेड.

28– उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम

29– प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

30– भूतपूर्व सैनिक कल्याण निगम

31– उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम लिमिटेड.

32– उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम

---

1. उ0 प्र0 अधि0 सं0 10, 2006 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।

33— बीज विकास निगम

34— वक्फ विकास निगम

35— उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान

36— उत्तर प्रदेश डेस्को

37— प्रोजेक्ट कारपोरेशन

38— उत्तर प्रदेश वन निगम

39— पौल्ट्री एवं लाइवस्टाक स्पेशल्टीज लिमिटेड

40— गन्ना शोध परिषद् उत्तर प्रदेश

41— गन्ना किसान संस्थान

42— गन्ना बीज विकास निगम

43— प्रादेशिक कोआपरेटिव यूनियन

44— अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम

45— उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

46— समाज कल्याण निगम

47— सुदूर संवेदन उपयोग केन्द्र

48— उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान

49— उत्तर प्रदेश युवा कल्याण परिषद्

50— उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम

51— उत्तर प्रदेश सहकारी आवास संघ

52— उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद्

53— उत्तर प्रदेश वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान

54— बीस सूत्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति उत्तर प्रदेश

55— उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद्

56— वित्तीय संसाधन परामर्शदाता, उत्तर प्रदेश

57— उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग

58— उत्तर प्रदेश नागरिक परिषद्

59— प्रादेशिक को–आपरेटिव सेरीकल्चर फेडरेशन, उत्तर प्रदेश

60— उत्तर प्रदेश राज्य व्यापार कर सलाहकार समिति

61— भारतेन्दु नाट्य अकादमी, लखनऊ

62— उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग

63— उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग

64— उत्तर प्रदेश स्टेट हार्टीकल्चर फूड प्रोसेसिंग फेडरेशन

65— उत्तर प्रदेश श्रम निर्माण सहकारी संघ

66– उत्तर प्रदेश गोसेवा आयोग

67– उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग

68– भू–उपयोग परिषद

69– उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ

70– श्रम कल्याण परिषद् उत्तर प्रदेश

71– विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी परिषद् उत्तर प्रदेश

72– न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड, उत्तर प्रदेश

73– राज्य ललित कला अकादमी

74– आचार्य नरेन्द्र देव अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध विद्या शोध संस्थान

75– आर्थिक परामर्शदाता उत्तर प्रदेश शासन

76– उत्तर प्रदेश पैक्स फेडरेशन

77– यू० पी० कोआपरेटिव बैंक

78– उत्तर प्रदेश भूमि विकास बैंक

79– जिला सहकारी बैंक

[1][80– उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा विकास परिषद]

(म) [2][x x x]

(य) उत्तर प्रदेश में वक्फों के सुन्नी सेंट्रल बोर्ड या शिया सेंट्रल बोर्ड के, यथास्थिति अध्यक्ष या सदस्य पर नियंत्रक, यदि कोई हो, का पद।]

4–निम्नलिखित अधिनियम एतद्द्वारा निरस्त किए जाते है ––

(1) दि यूनाइटेड प्राविसेंज लेजिस्लेटिव मेम्बर्स रिमूवल आफ डिसक्वालिफिकेशन ऐक्ट, 1940 ;	**यू० पी० ऐक्ट, संख्या 7, 1940**
(2) उत्तर प्रदेश सभा सचिव (अयोग्यता निवारण) अधिनियम, 1950 ;	**उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2, 1950**
(3) उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के सदस्यों का (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1951 ई० ;	**उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19, 1951**
(4) उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1952 ;	**उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4, 1952**
(5) उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य (अनर्हता निवारण) (द्वितीय) अधिनियम, 1952 ;	**उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13, 1952**
(6) उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य (अनर्हता निवारण) (अनुपूरक) अधिनियम, 1953 ;	**उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1953**
(7) उत्तर प्रदेश विधान मण्डल सदस्य (राष्ट्रीय नियोजन ऋण) (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1954 ;	**उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23, 1954**

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 39, 2006 की धारा 3 द्वारा बढ़ाया गया ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 10, 2006 की धारा 3(ख) द्वारा निकाला गया।

(8) उत्तर प्रदेश विधान मण्डल सदस्य (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1955 ; **उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16, 1955**

(9) उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य (जीवन बीमा) (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1956 ; **उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 35, 1956**

(10) उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य (अनर्हता निवारण) (अनुपूरक) अधिनियम, 1956 । **उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3, 1957**

———